

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट चन्द्रवाली)

1. अमनदीपसिंह } पि0 जीतसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील  
2. गगनदीपसिंह } टिब्बी ।  
-वादीगण

बनाम्

1. बलकरणसिंह पुत्र घीचरसिंह } कौम जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी  
2. घीचरसिंह } पि0 कृपालसिंह  
3. करनैलसिंह }  
- प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर:-98/2018

अन्तर्गत धारा:-48 ए,88 आरटीए

निर्णय दिनांक:-

वादीगण की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग एडवोकेट व प्रतिवादी की ओर से श्री महावीर प्रसाद वर्मा एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 19.6.2018 को .....उम्मेदसिंह रतनू उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-

(क)-वादीगण सं.1 अमनदीपसिंह व वादी सं. 2 गगनदीपसिंह:-चक नं.6 एस.एल.डब्ल्यू के खाता सं0 112/113 प0न0 211/313 मु0 61 किला नं0 2, 3/.101, 9 कुल 0.607 है0 व चक नं0 6 एस.एल.डब्ल्यू के खाता सं0 50/56 प0न0 211/312 मु0 51 किला नं0 17,18 कुल 0.506 है0, चकनं0 6 एस.एल.डब्ल्यू के खाता सं0 13/17 के प0न0 211/312 मु0 51 किला नं0 19,25/.506 है0 कुल 1.619 है0

(ख)-प्रतिवादी सं0 1 बलकरणसिंह, प्रतिवादी सं0 2 घीचरसिंह, प्रतिवादी सं0 3 करनैलसिंह ब0हि0ब0-चकनं0 2 आर डब्ल्यू डी के खाता सं0 20/71 प0न0 213/321 मु0 12 किलानं0 5/2/.126, 6,15,16, 25/2/.227, प0न0 214/321 मु0 13 किलानं0 11, 20, 21/2/.228 कुल 1.846 है0। उपरोक्त अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नं0 2 आर.डब्ल्यू.डी. के खाता सं0 20/71 में से अमनदीपसिंह व गगनदीपसिंह का नाम कलमजन व चक नं0 6 एस.एल.डब्ल्यू के खाता सं0 112/113 में से बलकरणसिंह का नाम कलमजन तथा चक 6 एस.एल.डब्ल्यू के खाता सं0 50/56 में से घीचरसिंह का हिस्सा कम व चक 6 एस.एल.डब्ल्यू के खाता सं0 13/17 में से करनैलसिंह का हिस्सा कम करने के आदेश दिये जाते हैं। उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

यह आज तारीख 19.6.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान ग्राम पंचायत चन्द्रवाली में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वादपत्र के लिए स्टाम्प	0	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	प्लीडर की फीस	0
4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0	आदेशिका की तामील	0
6 कमिश्नर की फीस	0	कमिश्नर की फीस	0
7 आदेशिका की तामील	0		0
जोड़	0	जोड़	0